



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257044
CG-DL-E-10092024-257044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3540]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 3540]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

का.आ. 3872(अ).—केंद्रीय सरकार धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श से भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ.372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्रम सं. 28 के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान (प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(3)
“प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, देहरादून”।

[फा.सं. सी-18015/5/2024-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2024

S.O. 3872(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Uttarakhand, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 28 relating to the State of Uttarakhand, after existing entry in column (3), the following entry shall be inserted, namely:-

(3)
"1st Additional District and Sessions Judge, Dehradun".

[F. No. C-18015/5/2024-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016.